राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प. 8(1)साप्र/5/13 जयपुर, दिनांक: 21/06/2013

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयेाग द्वारा वर्ष, 2011 में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत विश्राम भवनों में निम्नांकित अभ्यार्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 6100/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे बैण्ड I 5200–20200 (ग्रेड पे 1900/–) अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम/पता	वर्ग	मेरिट नं.	रोल नं.	जन्म तिथि
1	श्री गजेन्द्र राठौर, पुत्र श्री मूलचन्द राठौर म.नं. 1066, महावीर नगर–द्वितीय, कोटा –324005	ओ.बी.सी.	014	505514	30.03.1981
2	श्री प्रेम रतन जोशी पुत्र श्री किशन गोपाल जोशी बेसिक इंग्लिश स्कूल नं. 3 के पास, डॉ. धनपत राय मार्ग, नया शहर, बीकानेर	सामान्य	304	307292	01.10.1980
3	श्री विकास जाँगिड़ पुत्र श्री बाबूलाल जाँगिड़ डिंफेस स्कूल के पीछे, मीना कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर–322001	ओ.बी.सी.	328	201360	14.11.1988
4	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री नेमीचन्द ग्राम जयसिंहपुरा, पोस्ट हेतमसर, जिला झुंझुनू–333041	ओ.बी.सी.	412	708038	04.11.1986
5	श्री ब्रजेश कुमार पुत्र श्री फूलचन्द यादव मु.पो. रायपुर पाटन, तहसील नीम का थाना, सीकर–332718	ओ.बी.सी.	505	766406	15.03.1984
6	श्री कमल किशोर स्वामी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र स्वामी बिन्नाणी निवास के पीछे, जस्सुसर गेट के अन्दर, बीकानेर–334001	बी.सी.	573	303165	03.04.1987
7	श्री ललित कुमार पुत्र श्री सुलतान सिंह वार्ड नं. 1, वाया–पोस्ट रामगढ़, तह. नोहर, हनुमानगढ़–335504,	अनु. जाति	604	305368	11.02.1988
8	श्री पवन शर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र शर्मा कृषि मंडी के पीछे, खानचन्द फैक्ट्री के पास, आनंद नगर, भरतपुर–321001	सामान्य	669	200482	15.5.1986
9	श्री प्रकाश मण्डा पुत्र श्री चतरा राम ग्राम आसपुरा, वाया पोस्ट कुचामन, नागौर–341508	ओ.बी.सी.	734	763671	08.11.1978
10	श्री संदीप स्वामी पुत्र श्री राधेश्याम स्वामी ग्राम पो. दुजार, तह. लाडनूं, नागौर–341306	ओ.बी.सी.	881	101778	24.08.1991
11	श्री पोखर मल सूण्डा पुत्र श्री नारायण लाल सूण्डा गांव सूण्डा की ढाणी, पो. भोजपुरा कलां, वाया जोबनेर, जयपुर–303328	ओ.बी.सी.	1119	408606	05.05.1982
12	श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह गांव गुण्डवा, पोस्ट भाण्डोर, तहसील व जिला भरतपुर–321001	एस.बी.सी.	650	201342	08.8.1991
13	श्री बनवारी लाल बैरवा पुत्र श्री रामफूल बैरवा ग्राम खजूरियां, पो. धांस, तह व जिला टोंक–304001	अनु. जाति	1055	111295	05.9.1978
14	श्री सुभाष चन्द नटवाड़िया पुत्र श्री सरदार मल नटवाड़िया एन.एच.–8, नटवाड़िया ऑटो मोबाईल्स, बजाज धर्मकांटा के सामने, शाहपुरा, जयपुर–303103	बी.सी.	976	722097	03.07.1987
15	श्री राम कुमार शिवहरे पुत्र श्री ग्यासी राम शिवहरे 'बाबा हाउस', रामकुंज कॉलोनी, बाड़ी रोड़, धौलपुर–328001	ओ.बी.सी.	499	2000[illegible]	03.05.1977
16	श्री नरेन्द्र पुरोहित पुत्र श्री हरिशंकर पुरोहितृ आचार्यों की हाल, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, बीकानेर – 334001	सामान्य	27	305536	01.07.1979
17	श्री आशीष व्यास पुत्र श्री सूरजराज व्यास व्यास भवन, जाडेजी का नोहरा, नृसिंगदड़ा, जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर– 342001	सामान्य	38	401913	28.08.1979
18	श्री सुरेश सैन पुत्र श्री मूलचन्द सैन बद्रीनारायण मंदिर के पीछे, बस स्टेण्ड के पास, खाई रोड़, नयापुरा, कोटा–324001	ओ.बी.सी.	628	502987	04.07.1983

1. उपरोक्त अभ्यार्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार इस विभाग में सम्भालना होगा। जो अभ्यार्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि

कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना पं. 12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006, 6(6) वित्त/नियम 2005 दिनांक 13.3.2006, 1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, 13(1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.3.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 व परिशिष्ठ–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें।
5. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ लिपिक के पद पर राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
8. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ लिपिक के पे–बैण्ड I 5200–20200 (ग्रेड पे 1900/–) में करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें।
9. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-2) विभाग
2. शासन संयुक्त सचिव वित्त (नियम) विभाग
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग।
5. संबंधित सभी अभ्यर्थीगण- कृपया कार्यभार सभालते समय दो पृथक-पृथक राजपत्रित अधिकारियों (शैक्षणिक संस्था प्रधान के अतिरिक्त)द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण पत्र साथ लावें।
6. श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री रधुवीर सिंह ,भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके द्वारा इस विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों में से अविवाहित होने के शपथ पत्र में गवाह मोहन के हस्ताक्षर की कमी है, जिसे कार्यभार सभालने से पूर्व इस विभाग में गवाह मोहन के साथ उपस्थित होकर उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाकर कमी पूर्ति करावें
7. श्री सुरेश सैन (क्रम सख्या 18) कृपया कार्यभार संभालते समय आपको लौटाये गये मूल दस्तावेज इस विभाग में जमा करवाने हेतु साथ लावे।
8. श्री गजेन्द्र राठोर (क्रम सख्या 01) कृपया कार्यभार संभालते समय आपको लौटाये गये मूल दस्तावेज इस विभाग में जमा करवाने हेतु साथ लावे।
9. निजी पत्रावली में रखने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

मु. शर्मा 21/06/2017

(मुन्नालाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव